क्रम संख्या–148(ख)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 08 सितम्बर, 2009 ई0
भाद्रपद 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3

संख्या 589 / XXXI(3) / 2009–सु0–42 / 2006
देहरादून, 08 सितम्बर, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–09

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तरांचल के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाना–

उत्तरांचल सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली, 2006 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहां–जहां शब्द "उत्तरांचल" आया है, वहां–वहां शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाएगा।

3–नियम 5 के उप नियम (1) के खण्ड (तीन), (चार), (पांच) एवं (छः) का संशोधन–

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए वर्तमान नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (तीन), (चार), (पांच) एवं (छः) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(तीन) मुख्य रक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय/विधान भवन रक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(तीन) मुख्य रक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय/विधान भवन रक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(चार) सब इन्सपेक्टर–मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य रक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(चार) उप निरीक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य रक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(पांच) इन्सपेक्टर–मौलिक रूप से नियुक्त सब इन्सपेक्टरों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(पांच) निरीक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(छः) सुरक्षा अधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त इन्सपेक्टरों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(छः) सुरक्षा अधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

नियम 13 का संशोधन–

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शारीरिक स्वस्थता–13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो और उसकी ऊंचाई और सीने की माप परिशिष्ट "ख" में दिये गये मानक से कम नहीं होनी चाहिये। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग तीन के	शारीरिक स्वस्थता–13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी भी ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो और पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई और सीने की माप परिशिष्ट "ख" तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु परिशिष्ट "ग" में दिये गये मानक से कम नहीं होनी चाहिये। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की

अध्याय–3 में दिये गये मूल नियम, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय–3 में दिये गये मूल नियम, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

परिशिष्ट "ख"

(नियम 13 देखिये)

(पुरुष अभ्यर्थी हेतु अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता मानकों में सम्मिलित ऊंचाई और सीने की माप)

1.	पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर–सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लिये	165 सेंटीमीटर 5' 5"
2.	सीना	78.8 सेंटीमीटर
3.	सीना फुलाने के पश्चात्	03.8 सेंटीमीटर
4.	पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई	160 सेंटीमीटर 5' 3"
5.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई	157.5 सेंटीमीटर 5' 2"

परिशिष्ट "ग"

(नियम 13 देखिये)

(महिलाओं हेतु अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता मानकों में सम्मिलित ऊंचाई और वजन की माप)

1.	सामान्य वर्ग व अन्य वर्ग	152 सेंटीमीटर
2.	अनुसूचित जनजाति	147 सेंटीमीटर
3.	पर्वतीय क्षेत्र	147 सेंटीमीटर
4.	शारीरिक वजन	45 कि0ग्रा0 न्यूनतम

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 589/XXXI(3)/2009-SU-42/2006, dated September 08, 2009 for general information :

No. 589/XXXI(3)/2009-SU-42/2006
Dated Dehradun, September 08, 2009

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttaranchal Secretariat Security Service Rules, 2006.

THE UTTARAKHAND SECRETARIAT SECURITY SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2009

1. Short Title and Commencement--

(1) These Rules may be called The Uttarakhand Secretariat Service (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force at once.

2. "Uttaranchal" to be read as "Uttarakhand"--

In the Uttaranchal Secretariat Security Service Rules, 2006 (hereinafter referred to as the Principal Rules) the word "Uttaranchal" wherever occurs shall be read as "Uttarakhand".

3. Amendment of clause (III), (IV), (V) and (VI) of sub rule (1) of rule 5--

In the Principal Rules for the existing clause (III), (IV), (V) and (VI) of sub rule (1) of rule 5 set out in column-1 below shall be substituted the Clause as set out in column-2 as follows, namely--

Column--1 Existing Clauses	Column--2 Clauses as hereby Substituted
(III) Chief Guard--By Promotion from amongst the substantively appointed Secretariat/Vidhan Bhawan Guards having completed four years service, as such, on the first day of the recruitment year.	**(III) Chief Guard**--By Promotion from amongst substantively appointed Guards of the Secretariat/ Vidhan Bhawan who have completed two years service, as such, on the first day of the recruitment year.
(IV) Sub Inspector--By Promotion from amongst the substantively appointed Chief Guards having completed four years service, as such, on the first day of the recruitment year.	**(IV) Sub Inspector**--By Promotion from amongst the substantively appointed Chief Guards, who have completed two years service, as such, on the first day of the recruitment year.
(V) Inspector--By Promotion from amongst the substantively appointed Sub Inspectors having completed four years service, as such, on the first day of the recruitment year.	**(V) Inspector**--By Promotion from amongst the substantively appointed Sub Inspectors who have completed two years service, as such, on the first day of the recruitment year.
(VI) Security Officer--By Promotion from amongst the substantively appointed Inspectors having completed four years service, as such, on the first day of the recruitment year.	**(VI) Security Officer**--By Promotion from amongst the substantively appointed Inspectors who have completed two years service, as such, on the first day of the recruitment year.

Amendment of Rule-13

In the Principal Rules for the existing rules set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, as follows namely :--

Column--1 Existing Rule	Column--2 Rule as hereby Substituted
Physical fitness-13--No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties and his height and chest measurements should not be less than the standard mentioned in Appendix 'B'. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness from the Chief Medical Officer, Dehradun in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of	**Physical fitness-13**--No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties and measurement of height and chest must not be less than the standard given in Appendix 'B' for male candidate and in case of women candidates not less than given in Appendix 'C' Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to submit Medical Certificate of Fitness issued by the Chief Medical Officer under the rules framed